हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सारा सरकारी काम-काज कब तक हिन्दी में होने लगेगा, इसके लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की है। तथापि, जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। ऐसे अधिसूचित कार्यालयों में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के तहत विषय विनिर्दिष्ट कर दिये जाते हैं और हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित अपना सरकारी काम-काज केवल हिन्दी में करना होता है।

उपर्युक्त नियमों के अनुसार, अब तक रेल विभाग और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के 323 कार्यालय भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जा चुके हैं। इनमें से 267 कार्यालयों में विषय विनिर्दिष्ट कर दिये गये हैं, जहां हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अधिसूचित कार्यालयों में विषय विनिर्दिष्ट करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

Enquiry into purchase of 'Standard 2000'

*299. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether an inquiry had been ordered by Government into the purchase of three luxury 'Standard 2000' cars each costing over Rupees 2.10 lakhs by the management of the Indian Airlines;

(b) whether the enquiry report has been submitted;

(c) if so, the details thereof and the official responsible therefor; and

(d) what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir. Indian Airlines was only asked to provide certain information relating to the purchase of Standard Cars by the Corporation. No Enquiry was ordered.

(b) to (d) Do not arise.

Districts Linked by National Highways

*300. SHRI K. GOPALAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) the name of the districts in each State that are presently not linked by any National Highway;

(b) the names of the districts which will be linked by National Highway during the Seventh Plan;; and

(c) by when all districts in the country are likely to be linked by the National Highway.

THE MINISTER OF TRANSPORT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (c) National Highways are basically meant to connect with capitals of the States and satisfy other national level criteria, rather than linking the districts.

14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

1390. **श्री चतुरानन मिश्र :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर देश में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 24 जुलाई, 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में एक संकल्प जारी किया गया था जिसके अनुसार संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेद को क्रियान्वित करने की घोषणा की गई थी और इस लक्ष्य को यथासंभव शीघ्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यो को कितनी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) संविधान में, इनके लागू होने के 10 वर्षों के अन्दर, 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की परिकल्पना की गई है ।

(ख) जी, हां । शिक्षा नीति संकल्प, 1968 में संविधान के अनुच्छेद 45 में दिये गये निदेशी सिद्धान्त को तत्काल पूरा करने के लिए प्रयत्न करने की परिकल्पना है ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार उन सभी बच्चों को जो वर्ष 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, उनको गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा या इसके समकक्ष शिक्षा दी जायेगी । इसी तरह वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग कार्रवाई योजना तैयार कर रहा है । कार्रवाई योजना पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में 1 और 2 अगस्त, 1986 को विचार-विमर्श किया गया था । यह एक ऐसी महत्वपूर्ण नीति निर्धारित करेगी जिससे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाये । इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता उन योजनाओं पर निर्भर करेगी जो यथा अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार तैयार की जायेगी ।

Promotion of Nurses in the A.I.I.M.S.

1391. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the All India Institute of Medical Sciences the promotion of Grade 'A' staff nurses to sisters is not based on the seniority;

(b) whether it is also a fact that in the Neuro Sciences Centre of the All India Institute of Medical Sciences, junior nurses are being appointed as sisters disregarding the seniority list while the seniors from the 1975 batch are still without promotion; and

(c) if so, what action Government propose to take to ensure that justice is done to the nurses and that the grievances of the senior staff nurses of 'A' Grade by providing promotion on the basis of seniority only?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) It has been reported by the All India Institute of Medical Sciences that according to recruitment rules staff nurses are promoted to the post of nursing sisters—75 per cent on seniority basis subject to the rejection of unfit and 25 per cent on the basis of merit.

(b) No orders have been issued for promotion of staff nurses specially for Neuro-Sciences Centre.

(c) Does not arise.

Deficiencies in National Highway System

1392. SHRI SHANTIMOY GHOSH: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the major dificiencies in the existing National Highway System-